(74)

बिहार सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर,
अपना घर, द्वितीय तल, ललित भवन के पिछे, बेली रोड, बिहार, पटना।
फोन न0.–0612-2546510

पत्रांकः– 1524 दिनांकः– 05-09-2018

प्रेषक,

राज कुमार,
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा,
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम'
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
सभी जिला, बिहार।

विषयः मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित ई–सुविधा पोर्टल तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित मोबाईल एप्प तथा वेब पोर्टल पर कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सामाजिक सहायता छत्र योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त सम्मिलित योजनाओं यथा– मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित ई–सुविधा पोर्टल तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित मोबाईल एप्प/पोर्टल विकसित किया गया है जिसके कार्यान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जाना हैः–

- ई–सुविधा के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं यथा–मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कुष्ट कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए **Beneficiary Management System** विकसित किया गया है जिसपर स्वीकृत किये गये लाभुकों का विवरण संधारित किया जाना है ताकि पैरेंट्स–चाइल्ड मोड से भुगतान हेतु अग्रेतर कारवाई की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु आई डी0 एवं पासवर्ड ई–मेल के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करा दिया गया है। ई–सुविधा का लिंक www.ssupsw.in पर उपलब्ध है।
- 21.08.2018 को Video Conferencing के द्वारा जिलों मे SSUPSW के TSE को ई–सुविधा पोर्टल के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तथा आवश्यकता अनुसार Video Conferencing के द्वारा जिलों में ADSS एवं BDOs के कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
  ई–सुविधा से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु श्री शाहनवाज अहमद, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, सक्षम (मो0–8544401830)से संपर्क किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर संबंधित जानकारी तथा सहयोग हेतु श्री राम निरंजन पांडे(8292211683) तथा शिपु कुमार सिन्हा (8252326770)से संपर्क किया जा सकता है।
- तत्संबंधी User Manual पोर्टल पर उपलब्ध है तथा, पूर्व में आपको Email के माध्यम से भेजा भी जा चुका है।

- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से मोबाईल एप्प तथा पोर्टल विकसित किया गया है जिसका लिंक nicapp.bih.nic.in/kabir पर है, जिसके द्वारा नवीन विधि से प्रकिया उपरांत आई0सी0आई0सी0आई बैंक के प्री पेड कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जाना है। प्रकिया से संबंधित निर्गत पत्र के आलोक में कार्यान्वयन किया जाना है।
- कबीर से संबंधित एप्प को प्ले स्टोर से e-anudan yojna(Kabir anthyasti anudan yojna) के नाम से सर्च कर सुविधाजनक रूप से किसी भी एंड्राईड फोन में इनस्टाल किया जा सकता है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित एप्प तथा सॉफ्टवेयर संबंधित जानकारी तथा सहयोग हेतु श्री अमरेश कुमार, सक्षम (9525701671)से संपर्क किया जा सकता है।
- उक्त के आलोक मे निदेशित किया जाता है कि E-Suvidha पोर्टल के अंतर्गत योजनावार लाभार्थी का Entry कारवाना सुनिश्चित करें।शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना के तहत पूर्व के सभी लाभार्थी की Entry भी सुनिश्चित करें। आपके Data Entry के आधार पर ही जिला को आवंटन (Limit के साथ) दिया जायेगा। Entry के आभाव मे यदि आपके जिला अंतर्गत संबंधित योजन के किसी भी लाभार्थी का भुगतान लंबित होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

कृपया इसे सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(राज कुमार) 04/09/18

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा

–सह–

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम

ज्ञापांक:- 1524

दिनांक:- 05-09-2018

प्रतिलिपि :–

- प्रधान सचिव, समाज कल्याण–सह–अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति SSUPSW सक्षम, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- जिला पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

04/09/18

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा

–सह–

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,'सक्षम